



दिनांक: 12.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू

बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं चोरी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त **विक्रान्त पुत्र श्याम सुन्दर नि0 गाँधी आश्रम वाली गली कपिल विहार थाना सदर बाजार सहारनपुर** को खेडे वाली गली से इन्द्रा कालौनी से शेखपुरा वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 331/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार ने बताया कि मैं ये चाकू लोगों में दहशद बनाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विक्रान्त पुत्र श्याम सुन्दर निवासी गाँधी आश्रम वाली गली कपिल विहार थाना सदर बाजार सहारनपुर।

अभियुक्त विक्रान्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 302/2021 धारा 302 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 372/20 धारा 323/504/506/498ए/3/4 दहेज अधिनियम थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 331/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

➤ 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राजीव गौर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का0 1396 सहसकुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



दिनांक: 12.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.06.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा फरार चल रहे 04 वारण्टी अभियुक्तगण 1. **इसम सिंह पुत्र शान्ताराम नि0 ग्राम मेघन मजरा थाना बेहट सहारनपुर उम्र 53 वर्ष** 2. **कुलदीप पुत्र मदन निवासी ग्राम मेघनमजरा थाना बेहट सहारनपुर उम्र 24 वर्ष** 3. **अनुज पुत्र धर्मसिंह नि0 ग्राम मेघन मजरा थाना बेहट सहारनपुर उम्र करीब 35 वर्ष** 4. **दीपक पुत्र बलबीर नि0 ग्राम मेघन मजरा थाना बेहट सहारनपुर उम्र करीब 27 वर्ष** सम्बन्धित वाद सं0- 6809/22 धारा 147/148/307/336/427/353 भादवि व 7 सीएल ए एक्ट चालानी थाना बेहट सहारनपुर न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0- 17 सहारनपुर को अभियुक्तगण के मकान ग्राम मेघन मजरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. इसम सिंह पुत्र शान्ताराम नि0 ग्राम मेघन मजरा थाना बेहट सहारनपुर उम्र 53 वर्ष
2. कुलदीप पुत्र मदन निवासी ग्राम मेघनमजरा थाना बेहट सहारनपुर उम्र 24 वर्ष
3. अनुज पुत्र धर्मसिंह नि0 ग्राम मेघन मजरा थाना बेहट सहारनपुर उम्र करीब 35 वर्ष
4. दीपक पुत्र बलबीर नि0 ग्राम मेघन मजरा थाना बेहट सहारनपुर उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजेन्द्र राठी थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शौकीन खाना थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 2559 रन्जीत कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 185 हर्ष चौहान थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 12.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा अपहर्ता को सकुशल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.06.2024 को वादी द्वारा थाना सरसावा उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर देकर वादी की नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये कहीं चले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 129/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए नाबालिग की सकुशल बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में अपहृता को सकुशल बरामद करने हेतु टीम गठित की गयी। जिसमें विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त **मोन्टी पुत्र रामपाल निवासी ग्राम धतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर सरसावा टोल प्लाजा अम्बाला रोड के पास गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया, साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 328/376/3/4 पोस्को एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोन्टी पुत्र रामपाल निवासी ग्राम धतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 माधुरी शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 488 राजेश, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. म0का0 938 गुंजन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर